

खन्नीपुरा-घासपुर

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

online

2018/06/08

17-6-21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

गणरसीलाल कौं. बनाम पूजा कौं.

किस्म मुकदमा इजाजत नं. 3 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
25-5-18	<p>कादी/प्राची गणरसीलाल पुत्र लाडूराम गणर निवासी - कल्याणपुरा तहसील - श्रीमाधोपुर में उपस्थित होकर अर्जस्त करायो है कि न्यायालय ACM-I श्रीमाधोपुर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 30-6-2000 की आंशिक पालना में ग्राम कल्याणपुरा की एक भूमि का संपत्ति रिकार्ड में अमल उरामद के जोके एक ग्राम खन्नी-पुरा की एक भूमि का संपत्ति रिकार्ड में अमल नहीं होने से प्राथमिक पत्र पेश किया गया है। जिस पर प्रतिकारी पत्रकार को कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>अतः प्रकरण में डिक्री में अमल के लिए वही भूमि ग्राम खन्नीपुरा का संपत्ति रिकार्ड में अमल उरामद करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी होकर पञ्चमले दिनांक 08-06-18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">Gm</p>	<p>17.06.2021</p> <p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। प्रकरण में राजकीय पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निर्णय की पालना जरिये नामान्तरण संख्या 382 दिनांक 08.06.2018</p> <p style="text-align: right;"> उपरोक्त पराम आदेशपालना नं. 382 दि. 08.06.2018 उपरकर अमल पराम श्रीमाधोपुर 14.06.2021 (राजपैरोकार, नायब श्रीमाधोपुर) </p>

उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)

उत्तर (सीमांत व नगर प्रस्ताव)

हुक्म या कार्यवाही प्रयत्न लघुस्तानांतर जब

~~उत्तर~~ इतरात

मु.नं. - 3/2018

के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरानद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)